संख्या–1747 / XXIV-3/07/02(125)/2006

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र जोशी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

सेवा में,

निदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3

देहरादून: दिनॉक 16 जनवरी, 2008. ~~दिसम्बर, 2007~~

विषय: जीर्ण–शीर्ण विद्यालय भवनों के निर्माण कार्यो हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–5(ख)/30532/जीर्ण–शीर्ण/2007–08, दिनॉक 10 सितम्बर, 2007 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित 17 (सत्रह) राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण हेतु स्तम्भ–3 पर उल्लिखित निर्माण ऐजेन्सियों द्वारा गठित आगणनों का टी०ए०सी० द्वारा परीक्षणोपरान्त स्तम्भ–4 पर अनुमोदित कुल लागत रू0 1467.23 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए अनुमोदित लागत के सापेक्ष स्तम्भ–5 पर अंकित विवरणानुसार कुल **रू0 509.38 लाख** (रू0 पांच करोड़, नौ लाख, अडतीस हजार मात्र) की धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में प्रश्नगत योजना में शासनादेश संख्या: 1010/XXIV-3/07/02(20)/2007, दिनॉक 03.8.2007 द्वारा आपके निवर्तन पर रखी गयी धनराशि रू0 1500.00 लाख में से नियमानुसार व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:–

क0 सं0	विद्यालय का नाम	निर्माण ऐजेन्सी का नाम	टी०ए०सी० द्वारा अनुमोदित लागत	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4	5
1.	रा0इ0 का0, जितुवापीपल, नैनीताल	उ0 पे0स0 एवं नि0 नि0, नैनीताल	69.35	27.35
2.	रा0 इ0का0 धनियाकोट, नैनीताल	–तदैव–	67.25	26.25
3.	रा0इ0का0, नथुवाखान, नैनीताल	–तदैव–	60.15	23.15
4.	रा0इ0का0 टयूनाथल, अल्मोड़ा	उ0प्र0रा0नि0नि0लि0, अल्मोड़ा	56.95	21.95
5.	रा0इ0का0, बाराकूना, अल्मोड़ा	ग्रा0अ0से0, अल्मोड़ा	60.70	23.70
6.	रा0इ0का0 महतगांव, अल्मोड़ा।	–तदैव–	30.40	10.00
7.	रा0क0इ0का0,खटीमा उधमसिंहनगर	ग्रा0अ0से0, उधमसिंहनगर	124.15	35.00
8.	रा0इ0का0, बण्डिया, उधमसिंहनगर	–तदैव–	245.30	45.00
9.	रा0इ0का0 बैंजरो, पौड़ी	उ0प्र0रा0नि0नि0लि0, पौड़ी	83.60	32.60
10.	रा0इ0का0खोलाचौरी, पौड़ी	–तदैव–	86.60	34.60
11.	रा0इ0का0कांसखेत, पौड़ी	–तदैव–	82.78	32.78
12.	रा0इ0का0, पौड़ी	–तदैव–	39.35	15.35
13.	रा0इ0का0श्रीकोट, उत्तरकाशी	उ0प्र0रा0नि0नि0लि0, नई टिहरी	83.60	32.60
14.	रा0इ0का0 तलवाड़ी, चमोली	उ0प्र0रा0नि0नि0लि0, श्रीनगर	111.50	44.50
15.	रा0इ0का0 क्वालीखाल, रूद्रप्रयाग	–तदैव–	91.95	35.95
16.	रा0इ0का0 पित्रधार, रूद्रप्रयाग	–तदैव–	86.05	34.05
17.	रा0उ0मा0वि0 लालढांग, हरिद्वार	उ0प्र0रा0नि0नि0लि0, हरिद्वार	87.55	34.55
		योग–	1467.23	509.38

1– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनमोदित दरों को जो दरें शिडयल आफ रेट में स्वीकत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से

क्रमशः–2

ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।

2– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

3– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत मार्म है, स्वीकृत मार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य टेकअप किया जाय।

5– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि को मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

6– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल पर आवश्यकतानुसार एवं प्राप्त निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

7– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

8– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व सामग्री का किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।

9– जी0पी0डब्ल्यू फार्म–9 की शर्तो के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।

10– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या–2047/XIV-219(2006), दिनांक 30 मई,2006 द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

11– निर्माण की गुणवत्ता के लिए संबंधित निर्माण ऐजेन्सी उत्तरदायी होगी।

उपर्युक्त धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय और जहां आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर यथा समय शासन तथा महालेखाकार को उपलब्ध करा दिया जाय। स्वीकृति की प्रत्याशा में अनानुमोदित व्यय कदापि न किया जाय।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के अधीन लेखाशीर्षक–4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय–01–सामान्य शिक्षा–202–माध्यमिक शिक्षा–आयोजनागत–00–11–राजकीय हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेजों के भवनहीन/जीर्ण–शीर्ण भवनों का निर्माण–24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–743(P)/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–3/2007 दिनॉक 03 दिसम्बर,2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र जोशी)
सचिव

क्रमशः.....3

संख्या–1747(1)/XXIV-3/07/02(125)/2006, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
3– निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
4– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5– आयुक्त, कुमायूँ मण्डल–नैनीताल/गढवाल मण्डल, पौडी।
6– अपर शिक्षा निदेशक, कुमायूँ मण्डल–नैनीताल/गढवाल मण्डल, पौडी।
7– जिलाधिकारी, अल्मोडा/उधमसिंहनगर/नैनीताल/पौडी/हरिद्वार/उत्तरकाशी/रूद्रप्रयाग व चमोली।
8– कोषाधिकारी, अल्मोडा/उधमसिंहनगर/नैनीताल/पौडी/हरिद्वार/उत्तरकाशी/रूद्रप्रयाग व चमोली।
9– जिला शिक्षा अधिकारी,अल्मोडा/उधमसिंहनगर/नैनीताल/पौडी/ हरिद्वार/उत्तरकाशी/रूद्रप्रयाग/चमोली।
10–वित्त अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड सचिवालय।
11– बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड सचिवालय।
12–सम्बन्धित निर्माण ऐजेन्सी।
13–कम्प्यूटर सेल (वित्त विभाग), उत्तराखण्ड सचिवालय।
14–एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
15– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पी0एल0शाह)
उप सचिव